न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 167/2017 (RCMS No.- 2017/00229)

उनवानी प्रकरण :–

1. लक्ष्मनसिंह /
2. राजेश / पिसरान भगवानसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिकरौदा
3. राकेश / तहसील बाडी जिला धौलपुर ———— अपीलार्थीगण।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर – रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.02.2017 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 269/17 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लक्ष्मन सिंह अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलार्थीगण की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–15.01.2018

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 23.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलार्थीगण द्वारा सम्वत 2072 में खसरा नम्बर 599 रकवा 34 बीघा 12 विस्वा में से 1 बीघा भूमि पर फसल सरसो बोकर अतिचार किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुने बिना 225 रूपये का जुर्माना व 1 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत एंव काबिल खारिजी है। अपीलार्थीगण के पास कोई सम्मन नही पहुंचा है दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल लेने पर जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस किसी भी अपीलार्थीगण के पास नही पहुंचा, तामील कुनिन्दा द्वारा किसी फर्जी व्यक्ति के नोटिस के पीछे हस्ताक्षर करा कर तामील मान ली है जो कि गलत है। प्रकरण की अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अपीलार्थीगण के लिए एक ही नोटिस जारी किया है जिस पर

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

तीनो अपीलार्थीगण के नाम लिखे गये है और उस सम्मन पर किसी व्यक्ति ने राजेश के फर्जी हस्ताक्षर बना दिये है। जिस पर सभी अपीलार्थीगण की तामील मान ली गई है। जो विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर बयान दिया और पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया है। अपीलार्थीगण को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नही दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एंव साक्ष्य के अभाव में निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण समाज में इज्जतदार व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण के घर वालो को दिनांक 20.11.2017 को पुलिस थाना कंचनपुर के सिपाही द्वारा दी गई। अपील जानकारी दिनांक से बिना देरी पेश है। अपीलार्थीगण ने खसरा नम्बर 599 की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिचार नही किया ना ही सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने का इच्छुक है ना ही भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करेगा। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.2.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलार्थीगण ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 23.02.17, रिर्पोट पटवारी हल्का एंव नोटिस प्ररूप–3 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलार्थीगण अतिक्रमी नहीं है। अपीलार्थीगण पर नोटिस की तामील नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने तीनो अपीलार्थीगण को एक ही नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट सं. 2 के फर्जी हस्ताक्षर किसी व्यक्ति द्वारा किये गये है। अपीलार्थीगण को साक्ष्य एंव जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थीगण पूर्व अतिक्रमी है। अपीलार्थीगण ने पैनल्टी राशि जमा करा दी है तथा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2017 खारिज किया जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट राजेश पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट संख्या 2 के हस्ताक्षर है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलार्थीगण पर जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलार्थीगण जानबूझकर बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अपीलार्थीगण ने चारागाह भूमि पर फसल बोकर अतिक्रमण किया है जिसकी पुष्टि फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से होती है जिस पर अपीलान्ट नम्बर 2, स्वंय ने बोली लगाकर फसल ली है, मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा आराजी पर फसल सरसो बोकर अतिक्रमण किया गया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर अतिक्रमी है।
3. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलार्थीगण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलार्थीगण पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट संख्या 2 के हस्ताक्षर है।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलार्थीगण को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।
5. अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि पर कब्जा किया था जो छोड दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलार्थीगण का कब्जा नही है। यदि अपीलार्थीगण शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करते है तो उन्हे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर,धौलपुर
धौलपुर